

कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी

निर्वाचन की सूचना

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
मैं.....जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला

इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट * ग्राम पंचायत के सदस्यों/* ग्राम कचहरी के पंचों/* ग्राम पंचायत के मुखिया/
* ग्राम कचहरी के सरपंच/* पंचायत समिति/* जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा निम्नलिखित सूचना देता
हूँ कि :-

(क) अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारी * ग्राम पंचायत/* ग्राम
कचहरी/* पंचायत समिति/* जिला परिषद के लिए * पंचों/* सदस्यों/* मुखिया/* सरपंच के
निर्वाचन का संचालन करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (8) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का
स्थान, अवधि और समय होगा।

(ग) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा करने
का स्थान, तारीख और समय होगा।

(घ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (10) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का
स्थान, तारीख और समय होगा।

(ङ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (11) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतदान की तारीख और समय होगा।

(च) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय मतों की गणना करने की तारीख और समय
होगा।

(छ) निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट स्थान मतों की गणना का स्थान होगा।

स्थान

तारीख

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

टिप्पणी - यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्तम्भ (12) में अंकित तारीख और समय एवं स्तम्भ (13) में अंकित स्थान
पर मतगणना नहीं हो सकी तो मतगणना का संशोधित कार्यक्रम अलग से निर्धारित किया जा सकेगा।

अनुसूची

अनुक्रमांक	* ग्राम पंचायत * ग्राम कचहरी * पंचायत समिति * जिला परिषद् का नाम।	पद	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला के लिए आरक्षित/अन्य	निर्वाची पदाधिकारी का नाम तथा पदनाम
1	2	3	4	5	6	7

नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि (तारीख) और समय	नाम निर्देशन-पत्र संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय।	नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने का स्थान, तारीख और समय।	वह तारीख तथा वह समय जिसके दौरान मतदान होगा।	मतों की गणना करने की तारीख और समय।	मतों की गणना का स्थान
8	9	10	11	12	13

स्थान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

तारीख

जिला

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

- टिप्पणी - 1. यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 5 में आरक्षित कोटि के नामका उल्लेख किया जाये, यथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब "अनारक्षित" का उल्लेख किया जाये।
2. यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 6 में "महिला" शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब "अन्य" शब्द का उल्लेख किया जाये।
3. स्तम्भ 8 में "अवधि (तारीख)" नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने की प्रथम तारीख से उस अंतिम तारीख तक होगी जो निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन की तारीख के अगले दिन से उस सातवें दिन तक होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, यथा "मंगलवार, (तारीख) से मंगलवार (तारीख) तक"।